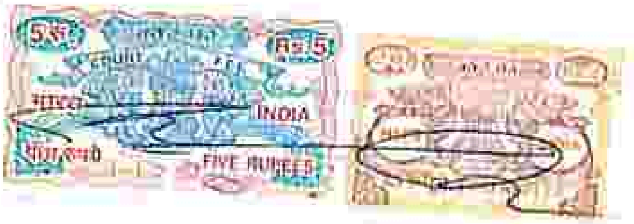

२=२.०० / २२-१-१८   पृ० 131

नकल आदेश दिनांक 8-1-18 न्यायालय श्री मान उपजिलाधिकारी महोदय
पट्टी प्रतापगढ़ . मुकदमा

वाद सं. 0041/2018, T201803570400041

रमराजी रामदेव बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 80 उ.प्र.रा.सं. 2006
भूमि स्थित ग्राम - मौजमपुर
प.त. - पट्टी प्रतापगढ़

प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :इलाहाबाद,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :पट्टी
वाद संख्या :-00041/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201802570400041
रंगराजी रामदेव बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आर0आर0 महाविद्यालय बैजलपुर द्वारा प्रबन्धक पंकज यादव पुत्र शशिकान्त यादव निवासी ग्राम-बैजलपुर परगना व तहसील पट्टी जनपद-प्रतापगढ द्वारा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम- बैजलपुर परगना व पट्टी जनपद-प्रतापगढ की खसरा संख्या 1175मि0 क्षेत्रफल 0.025,1176 क्षेत्रफल 0.039,1177क्षेत्रफल 0.018,1178क्षेत्रफल 0.026,1221क क्षेत्रफल 0.066,1220 क्षेत्रफल 0.683,1222 क्षेत्रफल 0.074,1223 क्षेत्रफल 0.022,1218क्षेत्रफल 0.069व 1219ग क्षेत्रफल 0.036 है0 मे खेती नहीं की जा रही है तथा मकान स्थित है। अतएव इसे अकृषिक घोषित किया जाय। वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे सहखातेदार धर्मादेवी आदि की ओर से सहमतिपत्र प्रस्तुत किया गया है। है।जिसके सम्बन्ध मे भारतीय स्टेटबैंक शाखा पट्टी मे चालान सं0 12 दिनांक 01.01.2018 मु0 68.770 रू0 शुल्क जमा कोष है।

प्रकरण की जाच तहसीलदार पट्टी से करायी गयी जिन्होने अपनी आख्या दिनांक 29.06.2017 में अंकित किया है कि ग्राम- बैजलपुर की खसरा संख्या 1175मि0 क्षेत्रफल 0.025,1176 क्षेत्रफल 0.039,1177क्षेत्रफल 0.018,1178क्षेत्रफल 0.026,1221क क्षेत्रफल 0.066,1220 क्षेत्रफल 0.683;1222 क्षेत्रफल 0.074,1223 क्षेत्रफल 0.022,1218क्षेत्रफल 0.069व 1219ग क्षेत्रफल 0.036 है0कृषि कार्य नही होता है तथा आस-पास आबादी स्थित है। आवेदिका द्वारा यह भूमि विक्रयपत्र के आधार पर प्राप्त की गयी है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के हस्ताक्षरयुक्त उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 नियमावली नियम-135 की आख्या भी संलग्न है। आवेदक/लेखपाल द्वारा विवादित स्थल का छायांकन भी प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का भली-भांति अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम- बैजलपुर परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ की खाता खतौनी वर्ष 1423-1428 फसली के खाता सं0 82,84,128,669 खसरा संख्या 1175मि0 क्षेत्रफल 0.025,1176 क्षेत्रफल 0.039,1177क्षेत्रफल 0.018,1178क्षेत्रफल 0.026,1221क क्षेत्रफल 0.066,1220 क्षेत्रफल 0.683,1222 क्षेत्रफल 0.074,1223 क्षेत्रफल 0.022,1218क्षेत्रफल 0.069व 1219ग क्षेत्रफल 0.036 है0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी के अन्तर्गत सहखातेदार के रुप मे अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार संक्रमणीय भूमि के खाते मे अंकित रही है। खसरा संख्या 1175मि0 क्षेत्रफल 0.025,1176 क्षेत्रफल 0.039,1177क्षेत्रफल 0.018,1178क्षेत्रफल 0.026,1221क क्षेत्रफल 0.066,1220 क्षेत्रफल 0.683,1222 क्षेत्रफल 0.074,1223 क्षेत्रफल 0.022,1218क्षेत्रफल 0.069व 1219ग क्षेत्रफल 0.036 है0 कृषि से इतर प्रयोजन मे प्रयुक्त हो रहा है जिसको अकृषिक घोषित करने मे कोई विधिक अड़चन नही है।

आदेश

अत: ग्राम- बैजलपुर परगना व तहसील पट्टी जनपद-प्रतापगढ की वर्तमान खाता सं0 82,84,128,669 खसरा संख्या 1175मि0 क्षेत्रफल 0.025,1176 क्षेत्रफल 0.039,1177क्षेत्रफल 0.018,1178क्षेत्रफल 0.026,1221क क्षेत्रफल 0.066,1220 क्षेत्रफल 0.683,1222 क्षेत्रफल 0.074,1223 क्षेत्रफल 0.022,1218क्षेत्रफल 0.069व 1219ग क्षेत्रफल 0.036 है0 के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए भूराजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पट्टी की आख्या दि0 29.06.2017 व लेखपाल का स्थलीय अनुकृति आदेश का अंग होगा। किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद (आदेशात्मक) निर्गत हो। जिसकी प्रति नियम 137 के अधीन अनुपालन हेतु उप निबंधक पट्टी को भी भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार निक्षेपित की जाय।

पृष्ठ संख्या :

दि0 08.01.18

(जे0पी0मिश्र) 08/01/18
उपजिलाधिकारी
पट्टी प्रतापगढ

उक्त आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(जे0पी0मिश्र) 08/01/18
उपजिलाधिकारी
पट्टी प्रतापगढ

प्रमाणित
रीडर
S.D.O (P)
27-1-18